मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-21-72-92/1-10 भोपाल, दिनांक 27 मई 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय.—लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों का निलंबन.

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 (2) 85/प्रसको/एक दिनांक 15-10-85 द्वारा शासन के समस्त विभागों को और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किये गये थे, कि भ्रष्टाचार के संबंध में मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म. प्र. द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए.

2. उपरोक्त निर्देशों के आधार पर पारित किये गये निलंबन आदेश को म. प्र. प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष कुछ मामलों में चुनौती दी गई और अधिकरण ने यह निर्णय दिया कि संबंधित शासकीय कर्मचारी का निलंबन स्वविवेक के आधार पर नहीं हुआ बल्कि शासन के कार्यपालिक निर्देशों से उत्पन्न दबाव के आधार पर किया है. प्राधिकरण ने ऐसा निलंबन दवाबवश किया गया निलंबन माना है.

3. राज्य शासन द्वारा ज्ञापन क्र. सी/6-2/96/3/एक दिनांक 17 अप्रैल 1996 द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) एवं 9(5) (घ) में संशोधन कर निम्न व्यवस्था की है.

(एक) उप नियम (1) में विद्यमान परन्तुक में शब्द ''परन्तु'' के स्थान पर शब्द ''परन्तु'' यह और भी कि'' स्थापित किया जाये, और

(दो) उप नियम (1) के विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये अर्थात् :—

''परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो''.

(तीन) उप नियम (5) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु नियम 9 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जावेगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए, आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.''

4. अतएवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में ऊपर लिखित संशोधन के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालिक निर्देश की आवश्यकता नहीं रह जाती है.

5. अत: सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ. 12 (2) 85/प्रसको/एक दिनांक 15-10-85 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

हस्ता./
ए. व्ही. ग्वालियरकर
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ-21 (72) 92/1-10. भोपाल, दिनांक . . . . . .

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, कार्यालय म. प्र. भोपाल.
3. महानिदेशक, म. प्र. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल.
4. सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर.
6. आयुक्त म. प्र. शासन, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.
7. राज्यपाल के सचिव.

हस्ता./
ए. व्ही. ग्वालियरकर
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.